कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व।

क्रमांकः - ई-मेल   दिनांकः -28-01-18

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय
सांगानेर जयपुर पूर्व।

विषयः -सम्पर्क परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार के संबंध में न्यूज कटिंक दैनिक भास्कर छपि खबर " सिपाही व रिश्तेदार के खिलाफ जीन माह से एसीपी अटका दी जॉच ''मुकदमा नम्बर 920/17 धारा 279,337आईपीसी थाना सांगानेर जयपुर पूर्व।

महोदय,

श्रीमान जी वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 21.11.17 को श्री अरमान आलम पुत्र श्री गुलाब हुसैन जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी मकान नं 78 गोरधन नगर टोल टैक्सी सांगानेर जयपुर ने थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 18.11.17 को मेरा परिचित बालेन्द्र सीतापुरा से काम खत्म करके साईकिल से अपने कमरे पर गोवर्धन नगर जा रहा था समय करीब रात्रि 8.00-8.30 बजे के लगभग जब इंण्डिया गेट से टोंक रोड होता हुआ बम्बाकला पुलिया की ओर अपनी सही दिशा मे जा रहा था तभी पंजाबी ढाबे होटल के पास सामने से रोंग साईड मोटर साईकिल नं आर जे 14 वी एस 4157 को उसका चालक गफलत एवं लापरवाही पूर्वक तेज गति मे चलाता हुआ लाया और साईकिल के टक्क र मार दी परिणाम स्वहरूप बालेन्द्रल साईकिल से गिर गया और उसके चोटे आई । मै बालेन्द्रक के पीछे आ रहा था मैने उसे सम्भादला और महात्माग गांधी होस्पीटल मे भर्ती कराया जिसका आज भी इलाज चल रहा है मोटर साईकिल चालक भी गिर गया था जिसे आस पास के लोगो ने घायल को अस्पहताल पहुचाने के लिये कहा था वह अस्पसताल से मौका पाकर भाग गये मैने मोटर साईकिल के नम्बतर नोट कर लिये थे मै बालेन्द्रप के इलाज मे व्यीस्त रहने के कारण समय पर रिपोर्ट दर्ज नही करा सका । आज रिपोर्ट करता हू कृपया मोटर साईकिल नं आर जे 14 वी एस 4157 के चालक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 920/17 धारा 279,337 आईपीसी में कायम कर अनुसंधान शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटना स्थल कर नक्शा मौका कशीद किया गया। बयान परिवादी व गवाहान अरमान आमल ,बालेन्द्र, शेलेन्द्र के लिये गये , फर्द निरीक्षण साईकिल बनाई गई।

पत्रावली दिनांक 7.12.17 को सडक दुर्घटना अनुसंधान ईकाई पूर्व जयपुर से अग्रीम तफ्तीश हेतु थाना पर प्राप्त हुई। मजरूब बालेन्द्र की आईआर व एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त की गई। एक्सरे रिपोर्ट मे चोट नम्बर 1 ग्रीवियस नेचर की आना आंकित है। अतः धारा 338 भा.द.स. जोडी गई। दोराने तफ्तीश वाहन न. RJ14 VS 4157के वाहन मालिक का पता किया गया तो उन्होने दिनांक 18.11.17 को समय 8 -8.30 पी.एम. टोंक पर एक्सीडेन्ट होना नही बताया व राजेन्द्र प्रसाद के बयान लिये गये। दिनांक 31.12.17 को मुकदमा मुस्तगीस अरमान आलम ने एक रिपोर्ट लिखकर पेश की कि वाहन नं. RJ14 VS 4157 के द्वारा एक्सीडेन्ट होना नही बताया व सेवन से उक्त गाडी के गलत नम्बर लिखवा दिये थे। उक्त वाहन स्वामी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही करने हेतु लिख कर दिया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अनुसंधान से मामला अदम पता वाहन मुल्जिम का पाया जाने पर मुकदमा हाजा में एफ.आर. नम्बर 559/17 दिनांक 31.12.17 अदम पता वाहन मुल्जिमान मे किता कर दिनांक 09.02.18 कोपेश न्यायालय की गईतथा उसी दिन श्रीमान न्यायालय द्वारा एफ.आर. को स्वीकार भी कर दी गई थी।

बाइक छीनने के संबंध में थाना हाजा पर कोई रिपोर्ट दर्ज नही है और ना ही कोई जॉच पैडिंग है ।

तत्थ्यात्मक रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवामें पेश है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना सांगानेर
जयपुर पूर्व।